न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेरमो (तेनुघाट)।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(क)/(ख)के अंतर्गत

परमिशन वाद सं0 67 वर्ष 2025–26

आवेदक– सोहन महतो | केता–-मन्टु कुमार वगै0
ग्राम– कंचनपुर | ग्राम-- कंचनपुर
थाना– नावाडीह | जिला–बोकारो | थाना–नावाडीह | जिला–बोकारो

आदेश की कण्डा तारीख 01	आदेश एंव पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर कार्रवाई के टिप्पणी तारीख 03
14/8/25		

आदेश

यह वाद आवेदक–**सोहन महतो, पिता–स्व0 रतन महतो, निवास ग्राम–कंचनपुर, थाना–नावाडीह, जिला–बोकारो** के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)/(ख) के अंतर्गत निम्नाकिंत जमीन, विवरणी निम्नवतः–

मौजा	थाना न0	खाता न0	प्लॉट सं0	कुल रकबा	बिकी रकबा	भूमि दर्जा
कंचनपुर	**95**	**03**	**328**	**31 डी0**	**10 डी0**	**टांड दो**

को वे आवश्यक कार्य हेतु मो0 2,00,000/–(दो लाख) रूपये में केता–**1. मन्टु कुमार 2. अजय कुमार, पिता–स्व0 लक्ष्मण महतो, दोनो का निवास ग्राम–कंचनपुर, थाना–नावाडीह, जिला–बोकारो** के साथ बिकी करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यालय के पत्रांक 1296/रा0, दिनांक 20.06.2025 के माध्यम से अंचल अधिकारी नावाडीह से जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिकी अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी नावाडीह के पत्रांक–650, दिनांक–18.07.2025 से वांछित जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमे उनके द्वारा उल्लेख किया गया हैं कि:–

01. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों कुर्मी (महतो) जाति के सदस्य हैं जो पिछडी जाति वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना एवं जिला–बोकारो के निवासी हैं।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि का सर्वे खतियान में दुन्दी महतो वो शुखलाल वो मीजुरा पेशरान भीखारी महतो वो जयराम महतो वल्द करम महतो वो फतुआ वल्द जटल महतो के नाम से दर्ज हैं तथा सरकारी अभिलेख पंजी–II के पृष्ठ सं0 10/1 में मो0 दर्शनी, रतन महतो के नाम से जमाबंदी कायम हैं एंव लगान रसीद वर्ष 2023–24 तक निर्गत हैं। जमाबंदी कायम होने का आधार केवाला हैं।
03. जमाबंदीधारी रैयत से बिक्रेता का संबंध माता का है। बिक्री की जाने वाली भूमि बिक्रेता के हक व हिस्से के अतंर्गत आता है एंव बिक्रेता का दखल कब्जा में हैं।
04. प्रस्तावित भूमि भू–हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी0सी0एल0 अधिग्रहित क्षेत्र से बाहर हैं।

उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिकी करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया हैं।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता द्वारा अपने बयान में बतलाया गया हैं कि आवेदनाकिंत जमीन सर्वे खतियान में दुन्दी महतो वो शुखलाल वो मीजुरा पेशरान भीखारी महतो वो जयराम महतो वल्द करम महतो वो फतुआ वल्द जटल महतो के नाम से दर्ज हैं तथा सरकारी अभिलेख पंजी–II के पृष्ठ सं0 10/1 में मो0 दर्शनी, रतन महतो के नाम

से जमाबंदी कायम हैं एंव लगान रसीद वर्ष 2023–24 तक निर्गत हैं। बिक्री वाली जमीन उसके हक हिस्से की हैं जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

केता का कहना है कि उन्होने प्रस्तावित जमीन का देखा है। उक्त जमीन कोई विवाद नहीं हैं, तथा वर्तमान में आवेदक के शांति पूर्ण दखल कब्जे में हैं।

उभय पक्ष अपने पक्ष निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करतें हैं:–

01. बिक्रेता– केवाला की छायाप्रति हैं, लगान रसीद का छायाप्रति, आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

02. क्रेता– आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

दोनो पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी नावाडीह से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता एवं क्रेता दोनों कुर्मी (महतो) जाति के सदस्य हैं जो पिछडी जाति वर्ग के अतंर्गत आते हैं। बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना एवं जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि बिकेता के हिस्से की जमीन है, जो खतियानी रैयत के वंशज से प्राप्त है तथा हासिल है जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः आवेदक–**सोहन महतो, पिता–स्व0 रतन महतो, निवास ग्राम–कंचनपुर, थाना–नावाडीह, जिला–बोकारो** को निम्नांकित भूमिः–

मौजा	खाता न0	प्लॉट सं0	कुल रकबा	बिकी रकबा	उ0 सीमा	द0 सीमा	पू0 सीमा	प0 सीमा
कंचनपुर	**03**	**328**	**31 डी0**	**10 डी0**	**रास्ता**	**नीज आवेदक**	**आवेदक**	**हाल खरीद केशव प्रसाद**
			कुल	10 डी0 (दस डिसमिल जमीन मात्र)				

मो0 2,00,000/–(दो लाख) रूपये या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से केता–**1. मन्टु कुमार 2. अजय कुमार, पिता–स्व0 लक्ष्मण महतो, दोनो का निवास ग्राम–कंचनपुर, थाना–नावाडीह, जिला–बोकारो** के साथ बिकी करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती हैं। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एंव संशोधित।

14-8-24

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बेरमो (तेनुघाट)।

14-8-24

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बेरमो (तेनुघाट)।

Digitally signed by Mukesh Machhuwa
Date: 2026.01.10 16:13:16 +05:30
Location: 10.93.6.142